

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक 25-6-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अधिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से संघान्वित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/परिषद/उपरोक्त संस्था संस्था/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता शर्तों की नोट-2 में विस्तार इन शर्तों के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान करने वाली शर्तों से सम्बद्ध संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रस्ताव परीक्षा-समिति कर विनिश्चित निर्णय लिया गया -

संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित संस्था स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और कार्यसम्पत्ति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संघान्वित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गए शर्तों के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश अंक हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एअरआईसीआईटीईई पीसीआईआईटी 2019-20 में प्रवेश अंक	परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश अंक
1	3034	आर्य समाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुक्तानगर, कानपुर।	मेसोमॉलर इंगी (ग्रेजुएट डिग्री) सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	120 80 80	120 80 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअरआईसीआईटीईई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1962 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो शैक्षिक कार्यसत्री पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो शैक्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय भारतीय पाठ्यक्रमों की प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रतिवर्ष एक/एक से प्रदान किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था को सत्र 2019-20 में शुल्क के अन्तर्गत समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनव्यय एवं अन्य व्यय का अनुपालन करना होगा। कोश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 में शुल्क का पूर्ण निर्धारण किया जाता है तो प्रेषित की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं के प्रतिवर्ष के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश के लिए संस्था को उचित सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनव्यय के अनुसार तिरोक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को एअरआईसीआईटीईई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

- ✓ संस्था स्वतंत्र प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों के अतिरिक्त, निदेश, एच. निदेशिका, प्राथमिक विद्या, 2020, संयुक्त प्रदेश परिवार परिषद, 2020 तथा प्राथमिक विद्या, पाठ्य 2020 द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन पारमेशी माध्यम की संस्थाएं यदि भी नहीं आई, यह दिल्ली से अनुसंधान संस्थाओं में प्रस्ताव रहती है जो इस संस्था में समस्त प्राथमिक संस्था का होगा और विधिक कार्य से (20) को धारण कर ले लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अधिकृत शिक्षा अधिकारी, संयुक्त प्रदेश परिवार परिषद, प्राथमिक विद्या निर्देशिकाएं एवं प्राथमिक विद्या विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन को कोई मद बांधर किया न करे। जो अन्य मद से संबंध है तो शासनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संसदी आदेशों के अतिरिक्त प्रतिक्रिया को समस्त प्रतिक्रिया संसदी संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन पारमेशी माध्यम संगठित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परिवार परिषद द्वारा प्रदेश सरकार संसदीय द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुसंधान प्रदेश परिवार है। अनुसंधान द्वारा शासन द्वारा (अनुसंधान) के अनुसंधान प्रत्येक वर्ष अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के उपस्थित करने के लिए प्रत्येक वर्ष (अनुसंधान) के माध्यम से प्रत्येक संस्था स्तर पर रीषे प्रदेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान हेतु विवेक अनुसंधान आदेशों के अनुसंधान के अनुसंधान होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की शिक्षा, अनुसंधान, स्टाफ, शाला-संस्था, उपकरण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का प्रकाशित करना प्रत्याश है।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अधिकार हेतु उपस्थित आदेशों उपस्थित करने के साथ प्रतिन जांच के आदेशों के समस्त आवश्यक व्यक्तियों सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रकाशित/संचालित माध्यमों की कलमों के अतिरिक्त समिति के समस्त व्यक्तियों को समस्त अधिकारों के अतिरिक्त सुनिश्चित करनी चाहिए उपस्थित आदेशों के अतिरिक्त प्रतिक्रिया के साथ संस्था के संसदीय में प्रकाशित किया जाता है और अधिकारी द्वारा प्रतिक्रिया के लिए है कि संस्था प्रपत्रों का प्रकाशित किसी अन्य कार्य के लिए कर दी है जो संसदीय संस्था को समस्त प्रकाशित करने को अनुसंधान की जायेगी।
- ✓ संस्थाओं को यह अनुसंधान न किचे वाले प्रत्येक-द्वारा कर-संस्थाओं के लिए जाने का प्रकाशित प्रकाशित अनुसंधान संसदीय आदेशों की जायेगी।

(... के द्वारा लिखित)

सुसंधान- प्राथमिक/परिवार सम्बद्धता/2019/1133-2252

वर्ष: 2019 (2-5-2019)

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशिका, अमरतो इस्टी0 एच टेंपनालोजी, राम सुन्धेरा संस्था0

93

(... के द्वारा लिखित)

...

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1915

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय आग:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय वीएम इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिक स्तर 2020-21 हेतु विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षण सम्बन्धी को अनुसंधान प्रदान किए जाने के उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा परिषद 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यसभ्य में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित गई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व से संशोधित सम्बद्धता को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सत्र-2 में दिल्लीमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली पूर्व से सम्बद्धता सम्बन्धी का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श एवं विस्तृत निर्णय लिया गया :-

निम्नी श्रेण में स्थापित किल्लोंमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली विद्यार्थी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत अनुसंधान विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई द्वारा प्रदान किये गये अनुसंधान विस्तार के अनुसार उनके नाम के समुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुसंधान विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. संख्या No	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसंधान प्रवेश क्षमता
1	0208	जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ-सुन्दरगढ़, लखनऊ।	निम्नलिखित प्रस्तावित पाठ्यक्रम इन्जीनियरिंग के अंतर्गत	80	80
				80	80
				120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए0आई0सी0टी0ई0/प्री0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1986 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, मेरिट्स विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करनी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन शर्तों इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो शर्तों पाठ्यक्रमों (दो शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किये जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क में सम्बन्ध में समझ-बूझ पर सतत द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश वगैरों होने और अनुसार कार्यवाही किया जाया जायागया होगा। नीचे लिखित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीचे की स्थितिमें दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (संख्या प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं) को सम्बद्ध किया जाया विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सहायक प्रोफेसर परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को डी प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के विस्तार हेतु जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार डी प्रवेश भी आवेदकों को जावेगा।

(हस्ताक्षर)

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शाखावार एवं अनुसूचित विदेशों एवं सम्बद्धता सूचक पत्रों का रखा होगा।
- ✓ संस्था को पीआईओसीआई/पीआईओआई से आगामी सत्र हेतु अनुसूचित प्रांत किताबें प्राप्त आकर आकर रखी जाएगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिसूचना/शाखावार/निदेशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, 2000 संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा बनाये गये नियमों विनियमों अधिसूचना, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ जिसमें इन धार्मिकी पाठ्यक्रम की संख्याएं यदि पीसीआई, आई दिल्ली से अनुसूचित प्रांत करने में उपलब्ध होती है तो इन संकाय में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई चार्ज ट्रांसर किताब जस्ता है, तथा चार्ज ट्रांस के संकाय में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकृति सखी आदेश निर्गत किया जाया है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ जिसमें इन धार्मिकी पाठ्यक्रम लघुलिपि करने प्राप्ति संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्रारंभ होने के पूर्व पीआईओआई से अनुसूचित प्रांत कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) की माध्यम से अथवा संस्था स्वयं पर सीधे प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनतम आयोग नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्थापना, साज-सज्जा, उपकरण प्राप्ति किताबें प्राप्त सूचक आयोजित सूचक लघुलिपि का निवेश उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-दस्तावेज हेतु उपायों का अभाव में उपलब्ध करने के साथ वेबसाइट को सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित पाठ्यक्रम को बनाने वाले हेतु विदेशी संपत्ति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिलेख भूमि-साज, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाया है और यदि संकाय को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपायों का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किया जाने की अनुसूचना की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्ता का अनुपात न किन्हीं ज्ञाने अथवा सखी का उपलब्ध करने जाने की विधि में विद्यमान अन्तःसूचनाएं उपलब्ध कराने की जाएगी।

(सतन्द्र कुमार कर्नीजिया)
सचिव/कृते सचिव

पुस्तक- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख: 15-09-2020

प्रतिलिपि- प्रशासक/निदेशक, अखिल इन्टीग्रेटेड अर्थ टैक्स/सीडी, एन-सूचना, आर-सूचना, आर-सूचना, आर-सूचना, आर-सूचना

(सतन्द्र कुमार कर्नीजिया)
सचिव/कृते सचिव

कार्यालय,**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3334-APOLLO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL. SUNDHELA, BLOCK SARSAUL, KANPUR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमिस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश

प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- पाशिप/परिषद सन्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, APOLLO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL. SUNDHELA, BLOCK
SARSAUL, KANPUR



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव